न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—89/2018/223 आर.टी.एक्ट (2018/00089)

1. भोजराज उर्फ भोजा पुत्र श्री किशन पुत्र श्री शोभा गुर्जर
2. हीरा पुत्र श्री किशन पुत्र श्री शोभा गुर्जर
3. मीठू पुत्र श्री शोभा गुर्जर (फौत)
   - 3/1 ओमप्रकाश पुत्र मीठू
   - 3/2 दयाल पुत्र मीठू
   - 3/3 रवि पुत्र मीठू
   - 3/4 हरि पुत्र मीठू
   - 3/5 सुरज पुत्र मीठू
   - 3/6 भंवरी पत्नी मीठू
   - 3/7 लक्ष्मी पुत्री मीठू
   - 3/8 संतोष पुत्री मीठू
   - 3/9 सीमा पुत्री मीठू) नाबालिगान जरिए संरक्षक वली माता
   - 3/10 सोनू पुत्री मीठू) भंवरी पत्नी मीठू

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती भंवरी पुत्री स्व0 शोभा पत्नी बालू गुर्जर निवासी बाडिया गेना हाल निवास मुकाम रायला कलां तहसील सोजत जिला पाली।
2. गणेश दत्तक पुत्र भदा गुर्जर निवासी बाडिया गेना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
3. जेठाराम पुत्र चौथू गुर्जर निवासी बाडिया गेना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. श्रीमती हीरा पुत्री श्री चौथू पत्नी श्री ओगड गुर्जर निवासी बाडिया गेना हाल मेगडदा तहसील रायपुर जिला पाली।
5. पुखराज पुत्र भंवरलाल गुर्जर निवासी बाडिया गेना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
6. गुलाब पुत्र भंवरलाल गुर्जर निवासी बाडिया गेना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
7. हुकमा पुत्र भंवरलाल गुर्जर निवासी बाडिया गेना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
8. रामलाल पुत्र भंवरलाल गुर्जर निवासी बाडिया गेना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
9. श्रीमती पेमी बेवा भंवरलाल गुर्जर निवासी बाडिया गेना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
10. श्रीमती शांता बेवा भवरलाल गुर्जर निवासी बाडिया गेना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ब्यावर, जिला अजमेर।
12. उप—पंजीयक अधिकारी, उप—पंजीयक कार्यालय तहसील परिसर ब्यावर जिला अजेमर।
13. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर, अजमेर।
14. श्रीमती माडी पुत्री भद्दा उर्फ बुद्धा जी पत्नी किसनाराम गुर्जर निवासी बाडिया गेना हाल निवासी गुठेरों का बास धूलकोट हाजीवास तहसील रायपुर जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

15. श्रीमती रमती देवी पुत्री भद्दा उर्फ बुद्धा जी पत्नी रूपा गुंर्जर निवासी बाडिया गेना तहसील ब्यावर हाल जवाजा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

16. लीला पुत्री किशन गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाड़िया गैना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

17. गीता पुत्री किशन गुर्जर जाति गुर्जर निवासी बाडिया गैना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर राजस्व वाद संख्या 138/2013.

उपस्थितः–

1. श्री अक्षयनाथ देवडा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 11 से 13.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1,3 से 10, 14 से 17 अनुपस्थित. .

निर्णय

दिनांकः–24.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 138/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस के उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकर करते हुए अपना जवाब दावा मय काउण्टर प्रस्तुत कर वाद को खारिज किए जाने और खाता संख्या 3 में उसके नाम की जगह कानाराम व रामदेव का नाम दर्ज किए जाने का निवेदन किया। उक्त उपरांत श्रीमती मानी एवं श्रीमती रमती देवी ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 प्रस्तुत कर स्वयं को बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय ने बाद सुनवाई उन्हें अपने आदेश दिनांक 28.9.2015 के द्वारा बतौर प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद एवं प्रतिवादी पत्र के आधार पर बिना तनकीयात कायम किए एवं बिना सुनवाई का अवसर दिए सरसरी तौर पर कन्टेस्टेड प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखकर आदेश दिनांक 2.6.2017 के द्वारा वाद एवं काउण्टर क्लेम दोनों को आंशिक तौर पर स्वीकार कर भद्दा से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 गणेश को विरासत प्राप्त भूमि को उसके नाम से विलोपित कर भद्दा की पुत्रियों जो प्रतिवादीगण संख्या 14 व 15 है के नाम दर्ज करने का आदेश दिया और खाता सख्या 5 में गणेश के नाम दर्ज भूमि कानाराम व रामदेव के नाम दर्ज कर पक्षकारान के मध्य विभाजन किए जाने का आदेश पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.6.2017 की वादीगण/अपीलांटस की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी इसलिए उन्हें ज्यों ही जानकारी हुई उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी कर दिनांक 12.3.2018 को सत्यप्रति लेकर एवं उसके बाद चाहे गए आवश्यक दस्तावेज लेकर, अभिभाषक से दिनांक 10.4.2018 की दोपहर में अजमेर आकर मिले और उनसे मिलकर बिना किसी देरी के अपील तैयार करवा कर न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 138/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06. 2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1,3 से 10, 14 से 15 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया व प्रार्थी न्यायालय के समक्ष नकल रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 10.1.2001 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की प्रार्थना पत्र में अंकित दस्तावेज वर्तमान अपील के निर्णय व गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु महत्वपूर्ण व सारवान दस्तावेज है, इन दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निर्णय पर गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है प्रकरण की गंभीरता तथा प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाना अतिआवश्यक है तथा रिकार्ड पर लिए जाने के पश्चात ही प्रकरण का निर्णय किया जाना समुचित होगा। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिए जाने का आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थीगण को सुने उनकी पीठ पीछे प्रकरण को लोक अदालत में रखकर बिना पक्षकारान की उपस्थिति सुनिश्चित किए बएवं बिना उनकी सहमति लिए लोक अदालत की भावना से परे जाकर बिना पक्षकारान की व्यक्तिगत सुनवाई किए जों आदेश जेर अपील पारित किया है वह अविधिक होने से निरस्तनीय है, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण के तथ्यों को समक्षे पक्षकारान के द्वारा स्वीकृत तथ्यों को बिना समझे अभिवचनों और मांगी गई रिलीफ से परे जाकर वाद को बाहर के पक्षकारों के पक्ष में खातेदारी घोषणा की डिक्री पारित करने में घोर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया गलत होकर अविधिक है तथा कानून का सदैव से सुस्थापित सिद्धांत रहा है कि अविधिक आदेश को कभी भी चुनौति दी जा सकती हैं। मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवधिक होने के साथ–साथ प्रार्थीगण की पीठ पीछे पारित किया गया है, इसलिए ऐसे आदेश को मियाद बिंदु के आधर पर कायम नहीं रखा जा सकता है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वाद एवं प्रतिवाद पत्र के आने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के आज्ञापक उपबंधों को दरकिनार करते हुए बिना तनकीयात कायम किए बिना पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिए एवं बिना व्यक्तिगत सुनवाई करे बिना प्रकरण में पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद को समझे वाद को आंशिक स्वीकार करते हुए जो निर्णय एवं डिक्री जेरे अपील पारित की है वह अविधिक होने से निरस्तनीय है। वादीगण के द्वारा वाद पत्र के माध्यम से तथ्य प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2 जो अपने चाचा भद्दा के गोद चला गया था और उनके देहांत उपरांत विरासत के आधार पर उसकी सारी सम्पत्ति गोद पुत्र गणेश के नाम आ गई जो वाद के साथ संलग्न जमाबंदी से स्पष्ट था। ऐसी सूरत में गणेश को अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार शेष नहीं रहता है इसलिए प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में से जो हक गणेश ने लिए उन्हें विलोपित कर उक्त विलोपित हक वादीगण को दिए जाने का निवेदन किया जिसका प्रतिवादी ने विरोध करते हुए प्राकृतिक पिता से प्राप्त हक को विधिवत प्राप्त होने का कथन किया। ऐसी स्थिति में न्यायालय को प्रकरण में मात्र इतना ही निर्धारित करना था कि गणेश के गोद जाने के बाद भी वह प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं परंतु इस बिंदु को निर्धारित करने के बजाय अभिवचनों से परे जाकर दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकृत तथ्य कि गणेश अपने चाचा भद्दा के गोद गया को ही ही निर्णित कर गोद जाने को अस्वीकार कर जो निर्णय व डिक्री पारित की वह निरस्त किए जाने योग्य है। प्रतिवादी गणेश गोद गया है के तथ्य से किसी भी पक्षकार के द्वारा इंकार नहीं किया गया अर्थात गोद जाने के तथ्य को दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकार किया गया और उक्त तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी जिसमें गणेश गोद पुत्र भद्दा के नाम भद्दा के खातेदारी की भूमि विरासत से दर्ज हुई से स्पष्ट था। गोद जाने को लेकर दोनों पक्षकरों में कोई विवाद नहीं था वरन जो विवाद हुआ है वह केवल गणेश गोद कब गया को लेकन था गणेश अपने प्राकृतिक पिता के जीवनकाल में गोद गया अथवा उनके देहांत उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय जेर अपील पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संसंख 14 व 15 ने न्यायालय में उपस्थित होकर कोई वाद या काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी सूरत में बिना काउण्टर क्लेम के अधीनस्थ न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत वाद को बडी खूबसूरती से टिवस्ट करते हुए वाद के अभिवचनों से परे जाकर गणेश को भददा को गोद पुत्र ही नहीं मानकर भददा के खातेदारी की भूमि को प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के नाम दर्ज करने में त्रुटि की है क्योंकि गणेश को भददा के गोद जाने के तथ्य को अस्वीकार करना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर वादीगण के वाद को निष्फल करना है जो न्यायाचित नहीं हैं। मौजूदा वाद में कानाराम व रामदेव पक्षकार ही नहीं है फिर भी वाद के पक्षकारों से बाहर जाकर वादग्रस्त भूमि के खातेदारी घोषणा की डिक्री कानाराम व रामदेव के पक्ष में करने में त्रुटि की है, क्योंकि वाद के प्रतिवादी को किसी अन्य के लिए काउण्टर क्लेम में खातेदारी घोषणा कराने का निवेदन करना और उस आधार पर न्यायालय के द्वारा डिक्री पारित करना अविधिक होने से

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

निरस्तनीय है। लोक अदालत में पक्षकारान की सहमति होने पर ही प्रकरण का निपटारा किया जा सकता है परंतु मौजूदा प्रकरण में पक्षकारान की सहमति की बात तो दूर रही परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की उपस्थिति भी सुनिश्चित करने का प्रयास ही नहीं किया वरन उनके पीठ पीछे प्रकरण को निर्णित कर दिया जो लोक अदालत कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 138/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर कथन किया कि अपीलार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से कानूनन रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथाकथित दस्तावेज मिथ्या व सदभाविक नहीं होने से उनको कानूनन रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण का निर्णय करने में सहायक नहीं होने से कानूनन दस्तावेज को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है तथा उक्त दस्तावेज दिनांक 10.01.2021 को है जिसे अब प्रस्तुत किया जा रहा है जबकि उक्त दस्तावेजात को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकता था। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 ने दौराने जवाब/ बहस प्रार्थना– पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वाद में बताई गई वंशावली सही है, जहां तक प्रतिवादी संख्या 2 गणेश को शोभा का जायंदा पुत्र व भददा का गोद का पुत्र बताया है व सही है किंतु शोभा के हिस्से क जमीनों में जो गणेश का हिस्सा नहीं होना बताया है वह गलत व असत्य है। प्रतिवादी गणेश भददा के गोद जाने के पहले ही उसके पिता शोभा गुजर गए थे, इसलिए जो इंद्राज राजस्व जमाबंदियों खाता संख्या 5, 6, 7 में हो रखा है वह इंद्राज विधिवत व सही है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम व हिन्दू एडोपासन एण्ड मेंटीनेन्स के प्रावधानों से प्रशासित है किंतु अन्य तथ्य प्रतिवादी गणेश का जो उसके जायंदा पिता व दत्तक पिता की जमीनों में दोनों में ही अधिकारी होना नहीं माना है वह तथ्य गलत है। राजस्व अधिकारियों से मिलकर रेकार्ड झूठा बनाने का आरोप लगान का एवं प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बेचने के लिए आमादा होने का भी आरोप लगाया है वे गलत है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कोई सम्पर्क नहीं किया न

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

समझाया गया न उसकी आवश्यकता थी तथा प्रतिवादी संख्या 2 का उग्र होना व धमकी देना सभी तथ्य झूठे व आधारहीन हैं। वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। धारा 53, 88, 188 जैसी कोई धारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में नहीं है। वादीगण ने अनुतोष में बिना कारण ही व्यर्थ में घोषणा की मांग की है और बिना हिस्से दर्शाए ही विभाजन की मांग की है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। खाता नम्बर 5 खसरा नम्बर 306, 351, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 426, 427, 428 के 1/4 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 114 में निहित 1/48 हिस्सा इस दावा दायरी दिनांक 30.12.2013 के पहले ही प्रतिवादी संख्या 2 गणेश ने जरिए रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 26.12.2013 को ही कानाराम व रामदेव गुर्जर पिसरान गणेश, जाति गुर्जर, निवासी बाडिया गेना, तहसील ब्यावर को बख्शीश कर उसका कब्जा अपने हिस्से का सुपुर्द कर दिया है और वाद में उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है, वाद में जो सजरा दिया गया है उसमें जवंता उर्फ जेवता के तीन पुत्र शोभा, भददा व चोथू बताया है खाता नम्बर 5 में जिन खसरान का उल्लेख किया गया है वे भूमियां केवलमात्र भददा उर्फ बुद्धा व शोभा की खातेदारी में चली आ रही थी क्योंकि शोभा, भददा के काफी सालों पूर्व ही गुजर गया है और उस वक्त भददा उर्फ बुझाा के प्रतिवादी संख्या 2 गणेश के कारण से उसे उत्तराधिकार में 1/4 हिस्से की भूमियां हासिल हुई थी, इसलिए वह उक्त 1/4 हिस्से का खातेदार हुआ। खाता नम्बर 6 व खाता नम्बर 7 में जिसके खातेदार शोभा, भददा व चोथू थे उन भूमियों में प्रतिवादी संखय 2 गणेश का शोभा के हिस्से से उत्तराधिकार 1/12 हिस्सा मिला, एवं भददा के दत्तक पुत्र के 1/3 हिस्सा मिला, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 गणेश को 5/12 हिस्सा मिला है, इसलिए गणेश वादग्रस्त भूमियों में 5/12 हिस्से का खातेदार सहखातेदार के रूप में दर्ज किया गया, वह सही है क्योंकि गणेश के पिता शोभा गोद लेने वाले पिता भददा उर्फ बुद्धा के द्वारा गोद लेने से पहले ही गुजर गए थे, इसलिए शोभा के उर्फ बुद्धा ने प्रतिवादी संख्या 2 गणेश को गोद लिया था और भददा की पत्नि के पहले ही उसका हिस्सा उत्तराधिकार में फिर मिला, इसलिए रेवेन्यू रिकार्ड में जहां पर भी भददा उर्फ मुकदमे में विभाजन का दावा किया है, किंतु गेपर, पोखर नारायण, पिसरान भददा उर्फ बुद्धा वादीगण का वाद नॉन जाईण्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज के अभाव में कानूनन चलने योग्य नहीं है, अतः प्रतिवादी की श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद मय हर्जे व खर्चे के खारिज किया जाने की आज्ञा प्रदान करे। प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 6 व 7 में जो जगह हिस्से लिखे गए है, उनको जोडकर प्रतिवादी संख्या 2 काश्तकार होना घोषित किया जाकर दोनों खाते में प्रतिवादी नम्बर 2 का हिस्सा 5/12, 5/12 दर्ज किया जाकर तदनुसार दुरूस्ति फरमाने की आज्ञा प्रदान करे एवं खाता संख्या 5 में प्रतिवादी संख्या 2 गणेश का नाम काटकर उसके स्थान पर कानाराम, रामदेव पिसरान गणेश, जाति गुर्जर, बाडिया गैना तहसील ब्यावर को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, उसे साथ ही खसरा नम्बर 114 में निहित उसके 1/48 हिस्सा भी उक्त कानाराम, रामदेव गुर्जर की खातेदारी में दर्ज किया जावे और यदि विभाजन किया जावे तो उपरोक्तानुसार विभाजन किए जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

ने ग्राम बाड़िया गेना पटवारहल्का सिलीबेरी जमाबंदी 2068–2071 के खाता संख्या 09 में अंकित खसरा नम्बर 286/522 मे गणेश, मिठू पिसारा शोभा, भोजा, हीरा पिसरान किशन, मु.धापू बैवा किशना, गेपर, पोखर, नारायण पिसरान भद्दा एवं जरिये विरासती भंवर के वारिसान पुखराज, गुलाब, हुक्मा, रामलाल पिसरान भंवरलाल, शांति पुत्री भंवर लाल, प्रेमी पत्नि भंवर लाल के नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत 2068–2071 के खाता संख्या 5 में गणेश, मिठू पिसरान शोभा, भंवरी पुत्री शोभा, धापू बैवा किशना, भोजा, हीरा पिसरान किशना दर्ज होना पाया जाना तथा इसी जमाबंदी के खाता संख्या 6 में गणेश, मिठू पिसरान शोभा, भंवरी पुत्री शोभा 1/4 हिस्सा, धापू बैवा किशन, भोजा, हीरा पिसरान किशना हिस्सा1/12, गणेशराम मुतबन्ना भद्दा राम हिस्सा 1/3 भंवरलाल, जोगाराम पिसरान चौथू, हीरा, श्रवणी पुत्रीयॉ चौथू 1/3 हिस्सा एवं भंवरलाल पुत्र चौथू का विरासती दाखिल खारिज होना माना। इसी जमाबंदी में खाता संख्या 07 में गणेश,मिट्ठू पिसरान शोभा, भंवरी पुत्री शोभा1/4 हिस्सा, धापू बैवा किशन, भोजा, हीरा पिसरान किशन 1/12 राहिन अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. अजमेर मुर्तहीन, गणुशराम मुतबन्ना भद्दा राम हिस्सा 1/3 भंवरलाल, जोगाराम पिसरान चाथू, हीरा, श्रवणी, पुत्रीया चौथू हिस्सा 1/3 राहिन अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 अजमेर मुर्तहीन दर्ज होना पाया मानते हुए वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक स्वीकार किया किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

10. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवातिदत भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक है। इस कारण न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41नियम 27 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख को अपील रिकार्ड पर लिया जाता है।**

11. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत हैं। न्यायहित में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

12. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/वादी द्वारा राजस्व वाद वादग्रस्त अराजीयात बाबत खातेदरी स्थाई निषेधाज्ञा तथा बंटवारे बाबत एवं इंद्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 जो अपने चाचा भद्दा राम के गोद चला गया था और उनके देहांत उपरांत विरासत के आधार पर उसकी सारी सम्पत्ति गोद पुत्र गणेश के नाम आ गई जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

वाद के साथ संलग्न जमाबंदी से स्पष्ट था। ऐसी सूरत में गणेश को अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार शेष नहीं रहता है इसलिए प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में से जो हक गणेश ने लिए उन्हें विलोपित कर उक्त विलोपित हक वादीगण को दिए जाने का निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण से जवाब तलब किया गया प्रतिवादीगण ने इंकार करते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों को सिरे से खारिज कर दिया। जैसा कि विदित है गणेश के पिता की मृत्यु के उपरांत गणेश अपने चाचा भद्दा के गोद चला गया था, अपने चाचा के गोद जाने से पहले ही गणेश के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, व गणेश पूर्व में ही खसरा संख्या 5 में निहित अपना हक व हिस्सा पहले ही जरिए बक्शीश–पत्र में दिनांक 26.12.2013 को कानाराम व रामदेव जाति गुर्जर, बाडिया गैना तहसील ब्यावर को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय को उनके समक्ष लंबित राजस्व वाद व जवाब दावे के आधार पर तनकियां कायम कर तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिए था इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के आज्ञापक उपबंधों सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 को दरकिनार करते हुए उक्त प्रकरण को बिना तनकीयात कायम किए बिना पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिए जो निर्णय एवं डिक्री जेरे अपील पारित की है वह संतोषजनक प्रतीत नहीं होती है अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह जवाब, साक्ष्य लेकर व तनकीवार वाद का निस्तारण करते परंतु ऐसा नहीं किया गया व पत्रावली को बिना उभयपक्ष की सहमति से कोर्ट केम्प में ले जाकर निर्णित कर दी, जो विधि सम्मत नहीं है इसलिए अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

13. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 138/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 को निरस्त किया जाता व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम कर तथा उभयपक्षकारान को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदार कर उक्त प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर नए सिरे से निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner